उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या– 4321/आठ–1–07– 34 विविध/03टीसी
लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2007

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु शासनदेश दिनांक 17.09.07 के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप नीति–2007 निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 17.09.07 में यह व्यवस्था है कि विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम द्वारा योजनातर्गत 10 प्रतिशत भूखण्ड/भवन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के लिए एवं 10 प्रतिशत भूखण्ड/भवन अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित/सृजित की जायेगी।

2– अतः एतद्द्वारा विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम द्वारा दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित/सृजित सम्पत्तियों के आवंटन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

क.	उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
ख.	वित्त नियंत्रक, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
ग.	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो	सदस्य
घ.	संबंधित विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियन का प्रतिनिधि	सदस्य
ड.	सचिव, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य–संयोजक

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या– 4321(1)/आठ–1–07, तददिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम।
5. समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राम निरंजन
अनु सचिव